प्रेस विज्ञप्ति

13.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, रांची ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में रोनी मंडल और समीर चौधरी नामक दो बांग्लादेशी नागरिकों तथा दो भारतीय नागरिकों पिंटू हलदर को12 /11/ 2024को और पिंकी बसु मुखर्जी को13 /11/ 2024को भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन सभी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया है और ईडी उन सभी को रांची, झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ले रही है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमएलए ,2002 के तहत 17 स्थानों पर की गई व्यापक तलाशी के बाद ईडी ने ये गिरफ्तारियां कीं। फर्जी आधार ,जाली पासपोर्ट ,अवैध हथियार ,अचल संपत्ति के दस्तावेज ,नकदी ,आभूषण ,प्रिंटिंग पेपर ,प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिक्त प्रोफार्मा सहित विभिन्न अपराध-संकेती वस्तुएं बरामद की गई हैं।

ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा भा.दं.सं1860 ., पासपोर्ट अधिनियम 1967 और विदेशी अधिनियम ,1946 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। उक्त प्राथमिकी के अनुसार ,कुछ बांग्लादेशी लड़कियों ने भारत में अवैध और अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुछ निजी एजेंटों की मिलीभगत से अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा पार की है। इसके अलावा ,यह मामला एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ से संबंधित है ,जो उन्हें भारतीय नागरिकता साबित करने वाले नकली दस्तावेज मुहैया करा रहे हैं।

अब तक की ईडी की जांच से पता चला है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक सिंडिकेट बड़े पैमाने पर काम करता है, जो उपरोक्त गतिविधियों से अपराध की आय को सुगम बनाने में लगा हुआ है, जिसकी पुष्टि इन लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति सहित उपरोक्त अवैध गतिविधियों के बदले में मौद्रिक लेनदेन से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती बातचीत (चैट) वाले मोबाइल फोन की जब्ती से होती है।

तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनमें उपरोक्त सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे वेश्यावृत्ति रैकेट के बदले में किए गए भुगतान का विवरण/सूची शामिल है।

आगे की जांच जारी है।